उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.

CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–542–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2019–4(65)ई0एम0–03 / 86 दिनांकः 21 मार्च, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

श्री ज्ञानेन्द्र यादव (अभिज्ञान सं0–86048 व सम्प्रेक्षा सं0–जी–156), तत्कालीन सहायक अभियन्ता को उनकी अधिवर्षता (दिनांक 30.09.2017) पर कारपोरेशन के पत्र सं0–2623–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2017–4(65) ई0 एम0–03 / 86, दिनांक 16.09.2017 द्वारा उनके अवशेष देयों के समायोजन, विभागीय आवास रिक्त करने तथा कोई रेन्ट / पैनेल रेन्ट, यदि बकाया हो तो उसका समायोजन कराने के उपरान्त लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0 को पेंशन व ग्रेच्यटी अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

श्री ज्ञानेन्द्र यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता ने अपने अवशेष सेवानैवृत्तिक देयों, समयबद्ध वेतनमान व प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में, मा0 उ0प्र0 लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ में निर्देश याचिका सं0–612 / 2018 श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य निवेशित की थी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2018 को पारित निर्णय का अनुपालन विभागीय प्रकिया के कारण 04 माह में पूर्ण नहीं हो पाने के कारण श्री यादव द्वारा अवमानना याचिका सं0–277 / 2018 श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम श्रीमती अपर्णा यू0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 योजित की गयी। उक्त के मध्य श्री यादव के अवशेष देयों यथाः–जी0पी0एफ0, अवशेष एरियर (विभागीय आवास का दाण्डिक किराया व विविध अग्रिम समायोजित करते हुए), अवकाश नकदीकरण, पेंशन राशिकरण व ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है तथा कोषागार, कानपुर से पेंशन आहरित की जा रही है।

उक्त अवमानना याचिका में दिनांक 24.01.2019 को मा0 अधिकरण ने श्री यादव को विभागीय आवास 01 माह में रिक्त किये जाने का समय प्रदान किया गया था, परन्तु श्री यादव द्वारा विभागीय आवास अपने व्यक्तिगत कारणोंवश 03 माह तक (दिनांक 30.04.2019 तक) अधिग्रहीत रखने के लिए मा0 अधिकरण के समक्ष अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी अण्डरटेकिंग के अनुसार विभागीय आवास सं0–117, अधिकारी आवास, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर को रिक्त नहीं किये जाने के लिए अवमानना याचिका संख्या–227 / 2018 में दिनांक 19.11.2019 को मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को आदेशित किया गया है कि विभागीय आवास रिक्त नहीं किये जाने के कारण श्री यादव के अवशेष देयों का भुगतान व उनकी पेंशन रोक दी जाये।

अतः एतदद्वारा, मा0 उ0प्र0 लोक सेवा अधिकारण द्वारा अवमानना याचिका संख्या–227 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के अनुपालन में, श्री ज्ञानेन्द्र यादव (अभिज्ञान सं0–86048 व सम्प्रेक्षा सं0–जी–156), सेवानिवृत्त (दिनांक 30.09.2017) सहायक अभियन्ता द्वारा विभागीय आवास रिक्त नहीं किये जाने के कारण, तत्काल प्रभाव से, अग्रिम आदेशों तक उनकी पेंशन रोकी जाती है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

संख्या– 542(1)–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020 तद् दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से से प्रेषित कि मा0 अधिकरण की अवमानना याचिका संख्या–227 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के प्रस्तर–10 (छाया प्रति संलग्न) के अनुपालन में कृपया श्री ज्ञानेन्द्र यादव (अभिज्ञान सं0–86048 व सम्प्रेक्षा सं0–जी–156), सेवानिवृत्त सहायक

अभियन्ता का पेंशन प्राधिकार पत्र निरस्त कर यथोचित आदेश कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर को प्रदान कर कृत कार्यवाही से अविलम्ब अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग–03 को अवगत कराना सुनिश्चित करें:–

अति आवश्यक

1. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संलग्नकः यथोपरि।

आज्ञा से,

(हसन शहीर)
अपर सचिव–द्वितीय

संख्या– 542(2)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2020 दिनांकः 2 । मार्च, 2020.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध निजी सचिव।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बद्ध निजी सचिव।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
4–निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5–निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6–निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7–अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8–अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्र संख्या–33/मा0सं0(04) /उ0नि0लि0/2020, दिनांक 04.01.2020 के सन्दर्भ में।
9–उपसचिव(अ0प्र0–07) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। को पत्र संख्या–4140 अ0प्र0–07/पा0का0लि0/19–23–अ0प्र0–07/18, दिनांक 20.12.2019 के सन्दर्भ में।
पंजीकृत
10–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उप संस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर–208020.
11–अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
पंजीकृत
12–उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद अनुरक्षण खण्ड, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर–208020.
पंजीकृत
13–श्री ज्ञानेन्द्र यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, आवास सं0–117, अधिकारी आवास, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर।
14– कट फाइल।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)